भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1905
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों की नई पीठें

1905. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से न्यायिक बुनियादी ढांचे के असमान वितरण को देखते हुए उच्च न्यायालयों की नई पीठों की स्थापना को प्राथमिकता देने संबंधी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने न्याय तक की सुलभता की कमी का आकलन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे हैं ;

(घ) न्याय की सुलभता की उक्त कमी को दूर करने और क्षेत्रीय न्यायिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए / उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ङ) उच्च न्यायालय की सीमित सुविधाओं वाले राज्यों में लोगों को न्याय सुलभ कराने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त स्थिति में सुधार हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या हैं ; और
(च) उन राज्यों में उच्च न्यायालयों की नई पीठ स्थापित करने के लिए संसाधनों और बुनियादी ढांचे का प्रावधान सुनिश्चित करने की सरकार की क्या योजना है जहां न्यायालयों में मुकदमों की संख्या ज्यादा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : उच्च न्यायालय की न्यायपीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट या.(सी) संख्या 379/2000 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार स्थापित की जाती हैं और राज्य सरकार से आवश्यक व्यय और अवसंरचना प्रसुविधा प्रदान करने की सहमति के साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के साथ एक पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् स्थापित की जाती हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है ।पूर्ण होने के लिए प्रस्ताव में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।वर्तमान में किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायपीठ (पीठों) की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

अपेक्षाओं के आधार पर, मई 2014 से आज तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से बढ़ाकर 1122 कर दी गई है ।इसी प्रकार, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 से 18.11.2024 तक 19,518 से बढ़ाकर 25,725 कर दी गई है ।न्याय तक पहुँच बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है ।

सरकार ने विभिन्न पहल/परियोजनाएँ भी प्रारंभ की हैं और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए स्कीम शुरू की हैं, न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेज़ निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी

तंत्र प्रदान किया है और इस प्रकार न्याय तक पहुँच में सुधार किया है ।सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने न्यायालयों के लिए अवसंरचना में सुधार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने सहित विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से न्यायिक प्रशासन के लंबित मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है ।

न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हाल, आवासीय कक्षों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए विधियां जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों के काम में सुविधा होगी और न्याय प्रदान करने में सहायता मिलेगी ।

इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी क्षमता के लिए संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है ।यह परियोजना वैन संयोजकता के साथ-साथ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का समर्थन कर रही है ।बड़ी संख्या में न्यायालय परिसरों और जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है ।वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड के सेतु के लिए जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में कई ई-सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है ।विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में वर्चुअल न्यायालय की स्थापना करके वादियों को वर्चुअल पहुँच उपलब्ध कराई गई है ।ई-न्यायालय परियोजना का लक्ष्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता को बढ़ाना है ।

चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामले भी हैं, से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए हैं; ।निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के स्तर पर विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं ।केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है ।

वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का संवर्धन किया गया है ।इसके अनुसार, अगस्त, 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमस) को आज्ञापक बना दिया गया ।

सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम भी शुरू किया, जो विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

अधिवक्ताओं के बीच प्रो बोनो संस्कृति को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं ।एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ अधिवक्ता प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने के लिए स्वेच्छा से न्याय बंधु पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं ।न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं ।राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है ।विधि स्कूलों में भी प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं ।

****